

19-2-17

वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार डेमना के प्रकरण सं. 267/2017 सरकार बनाम निरवरीसिंह ने प्रार्थी का ग्राम गोरखीचांच के खसरा नं. 324 रकबा 0.0200 हेक्टर भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए बेदखली एवं जुर्माना से संबंधित आदेश दिनांक 21.11.17 से असंतुष्ट होकर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत अपील प्रस्तुत करते हुए यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो।

वकील प्रार्थी ने प्रकरण में आवश्यक प्रकृति होना बताते हुए स्थगन प्रार्थना पत्र पर अन्तरिम रूप से सुनवाई आज ही चाही गई है, जिस पर वकील प्रार्थी को एकपक्षीय अन्तरिम रूप से सुना गया।

वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अभी अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख आना शेष है। ऐसी स्थिति में राज्य पक्ष अप्रार्थीगण को सुने बिना अन्तरिम स्थगन आदेश दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। पत्रावली दिनांक 22.01.18 को पेश हो।

अपर कलक्टर
नागौर

3026
21.12
(51-2)

22.1.18

वकील प्रार्थी उप.। का.प. 3-11-17 PO हा.ए.ए. वा.ए. विवादा है पत्रावली दि. 5.3.18 को पेश हो

5.3.18

वकील प्रार्थी उप.। का.प. 3-11-17 PO हा.ए.ए. अन्त. का.प. में उदात्त हो पत्रावली दि. 21.3.18 को पेश हो

21/3/18

वकील प्रार्थी उप.। का.प. 3-11-17 PO हा.ए.ए. के का.प. दि. 28/3/18 को पेश हो
रा. प्र. नं. 69/17 गोरखीचांच व. सरकार

अपर कलक्टर, नागौर

28/3/18

वकील प्रार्थी उप.। का.प. 3-11-17 PO हा.ए.ए. के का.प. दि. 28/3/18 को पेश हो, के अनुसार पत्रावली का.प. 3-11-17 PO हा.ए.ए. के का.प. दि. 28/3/18 को पेश हो

अपर कलक्टर, नागौर

